उनवान

1 शरीफन पुत्री अल्लाबक्ष पत्नि जुम्मा खां मुसलमान निवासी बलवन्तपुरा तहसील हुरडा हाल अजमेर (राज.)
2 शरीफ पिता अल्लाबक्ष मुसलमान, निवासी बलवन्तपुरा तहसील हुरडा।
3 शराफत पिता अल्लाबक्ष मुसलमान, निवासी बलवन्तपुरा तहसील हुरडा।
4 शबाना पुत्री अल्लाबक्ष पत्नि महमूद मुसलमान, निवासी बलवन्तपुरा हाल नीमच मध्यप्रदेश ।
5 शबनम पुत्री अल्लाबक्ष पत्नि जाकिर मुसलमान, निवासी बलवन्तपुरा हाल रायला तहसील बनेडा, भीलवाडा ।
6 अमजद पिता अल्लाबक्ष मुसलमान, निवासी बलवन्तपुरा तहसील हुरडा।
7 शकूरन बेवा अल्लाबक्ष मुसलमान, निवासी बलवन्तपुरा तहसील हुरडा।

–वादीगण

बनाम

1 गंगाराम पिता खूमा गुर्जर, निवासी नंगाजी का खेडा तहसील हुरडा ।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री ललित कुमार धनोपिया वकील वादी ।
श्री परमेश्वर शर्मा वकील प्रतिवादी–1

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 23.05.2018

1– मौजा रुपाहेली तहसील हुरडा आराजी नम्बर– 718, 722, 724, 733, 719, 723, 732 जुमला किता 7 रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा साबिक रेकार्ड में वादीगण के मौरुस शकूर खां एवं हसन खां पुत्रान मेहताब खां के नाम पर दर्ज स्थित थी।

2 वाद पत्र की कलम नम्बर–1 में वर्णित आराजीयात के नये नम्बर– 3257, 3258, 3259 कायम किये गये ।

3 साबिक जमाबन्दी में जक्त उपर वर्णित आराजीयात वादीगण के मौरुस हसन खां व शकूर के नाम पर दर्ज स्थित थी तथा सन् 1984 शकूर खां की मृत्यु हो गई उस समय वादीगण के वली/पति अल्लाबक्ष नाबालिग थे जिसका नाजायज फायदा उठाकर उनके चाचा हसन खां ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभक्ति करके अकेले अपने नाम पर दर्ज करा ली और मिलीभक्ति व षड्यन्त्र के तहत हसन खां ने

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

4 हसन खां ने अल्लाबक्ष के नाबालिगी का नाजायज फायदा उठाकर अपने नाम पर की और जवाई बख्तावर खां के नाम रजिस्टर्ड बेचान कर दिया व हसन खां के फौत होते ही जवाई बख्तावर खां ने सम्पूर्ण आराजीयात को गोपाल पुत्र खुमा गुर्जर को बेचान कर दिया जबकि हसन खां को जीते जी पता था कि आधा हिस्सा उसके महरुम भाई शकूर खां का है तथा उसके फौत हो जाने के पश्चात उसका विरासत का खाता वादीगण के वली/ पति अल्लाबक्ष के नाम पर खुलना चाहिए था मगर फिर भी हसन खां व बखतावर खां ने मिलीभक्ति करके शकूर खां के हिस्से को जो उनका नही था को गलत व अवैध तरीके से बेचान कर दिया जो प्रारम्भतः वादीगण के हको पर शून्य होकर बेअसर है।

5 गोपाल गुर्जर के लाऔलाद फौत हो जाने के कारण विरासत से इन्तकाल प्रतिवादी नम्बर– 1 गंगाराम के नाम पर खुला है तथा हाल खातेदार गंगाराम ही है इसलिए उसको पक्षकार कायम किया गया है।

6 विवादित आराजीयात के आधे हिस्से पर आज भी वादीगण का अपने वली अल्लाबक्ष के समय से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग लगातार चला आ रहा है।

7 विवादित आराजीयात में शकूर खां का आधा हिस्सा निहित था तथा राजस्व अधिकारियों व हसन खां ने मिलकर अवैध तरीके से सम्पूर्ण आराजीयात को हसन खां के नाम पर की और उसने अपने जवाई बख्तावर खां को बेचान कर दी तथा बख्तावर खां ने उक्त आराजीयात को गोपाल गुर्जर पुत्र खेमा गुर्जर को बेचान कर दी जबकि आधा हिस्सा नाजायज तौर पर गलत अंकन व बेचान हुआ है जिसे वादीगण उक्त नामान्तकरण व बेचान नामो को अपने हक पर नाजायज व बेअसर तथा शून्य घोषित कराने के अधिकारी है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

8 वादीगण अपने मौरुस शकूर खां के आधे हिस्से को जो कि गलत व अवैध तरीके से दर्ज व बैचान हुआ है बेअसर करते हुये वादीगण के खाते में खातेदारी हक से दर्ज कराने के अधिकारी है तथा इस आशय की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के लिए अधिकृत है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

9 वादीगण के कई बार उक्त गलती को दुरुस्त कराने के लिए हसन खां, बख्तावर व गोपाल गुर्जर के जीते जी उनको व उनके बाद प्रतिवादीगण को कहा जिस पर लगातार जल्द कराने की कहते आ रहे है व इसके लिए बराबर आवश्वासन देते रहे बिल अखीर दिनांक 05.06.2016 को इन्कार कर दिया इसलिए उक्त वाद पेश करने की नौबत आई ।

10 अन्त में अंकित किया कि आराजी मुतदाविया वाद पत्र कलम नम्बर– 2 में वर्णित में साबिक आराजी वाद पत्र की कलम नम्बर–1 में

वर्णितानुसार शकूर खां के 1/2 हिस्से जिसका अवैध व नाजायज तरीके से नामान्तकरण व बेचान कर गलत दर्ज की गई है को वादीगण के हक पर नाजायज बेअसर व शून्य घोषित करते हुये शकूर खां के वारिस वादीगण के नाम पर बराबर बराबर हक हिस्से से खाते में खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावें ।

11 प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 1 की और से श्री परमेश्वर शर्मा के द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, जवाबदावा हेतु समूचित अवसर लिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया।

12 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट रुपाहेली पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से उभयपक्ष के बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादीगण के मौरुस शकूर खॉ एवं हसन खां के नाम वादग्रस्त आराजीयात दर्ज रिकार्ड थी। वादीगण के मौरुस शकूर खां की मृत्यु सन् 1984 में हो गई थी, उस वक्त वादीगण के वली अल्लाबक्ष नाबालिग थे, जिसका नाजायज फायदा उठाकर उनके चाचा हसन खां ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादग्रस्त भूमि को अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली तथा षड्यन्त्र पूर्वक हसन खां ने चूपचाप सम्पूर्ण आराजी को अपने जवाई बख्तावर को रजिस्टर्ड बेचान कर दी और बख्तावर खां ने गोपाल पिता सुवा गुर्जर को उक्त भूमि बेचान कर दी जो गलत व अवैध होने से वादीगण के हकों पर शून्य होकर बेअसर है। अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर शकूर खां के 1/2 हिस्से की आराजी वादीगण के नाम दर्ज करवाई जावें ।

13 जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि मैनें रजिस्टर्ड सेल डीड से भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है जमीन पर मेरा कब्जा है वादीगण का कभी भी कब्जा नही रहा और न है , कब्जे के अभाव में दावा वादी खारिज फरमाया जावें ।

14 मैनें उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से है –

15 वादीगण के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी महकमा बन्दोबश्त मेवाड उदयपुर मौजा रुपाहेली के अनुसार वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर– 718, 722, 724, 733, 719, 723, 732 भूमि शकूर खां हसन खां पिता मेहताब खां साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। पत्रावली पर उपलब्ध भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के खसरा सम्वत् 2023 के अनुसार साबिक नम्बर– 718, 722, 724, 733, 719, 723, 732 के नये नम्बर– 3257, 3258, 3259 बनाये जाना स्पष्ट हुआ है। तथा इसी खसरा पर लगे नोट के अनुसार मिसल नम्बर– 137/68 फैसल

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

नम्बर– 3258, 3259, 3709/3258 से बख्तावर खां का खारिज कर गोपाल वल्द खूमा गुर्जर साकिन नंगाजी का खेडा का नाम खातेदारी से दर्ज किया जाना प्रकट आया है। उसके पश्चात जो खतौनी जमाबन्दी तैयार की गई उसमें भी विवादित आराजी नम्बर– 3257, 3258, 3259 व 3709/3258 गोपाल पिता खूमा, कौम गुर्जर साकिन नंगाजी का खेडा खातेदार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। पत्रावली में उपलब्ध सेटलमेन्ट विभाग के उक्त खसरा पर अंकित नोट के अनुसार उक्त इन्द्राज सेटलमेन्ट विभाग की मिसल नम्बर– 137/68 से हुआ है। यदि वादीगण उक्त मिसल की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर देते तो सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जाती और इसलिये वादीगण के द्वारा सेटलमेन्ट की मिसल नम्बर– 137/68 की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत नही की गई।

16 चुँकि वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 मौजा रुपाहेली प्रथम तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त भूमि 3257, 3258, 3258/3709 अन्य आराजीयात के साथ गंगाराम पिता खूमा गुर्जर साकिन नंगाजी का खेडा के नाम लगभग 50 वर्ष से दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में वादीगण इस वाद में कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही पाये जाने से दावा वादी खारिज योग्य है।

–: निर्णय :–

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

दावा वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट रुपाहेली पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा